UPUN01006439 2023

Bail Application/3162/2023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं. 05, उन्नाव।

करन रावत पुत्र बउवा
निवासी चंपापुरवा थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

अपराध सं0–374/2023
धारा– 2/3 उ.प्र. गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलापनिवारण अधि0
थाना गंगाघाट, जिला उन्नाव।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र

17.10.2023

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त करन रावत द्वारा मु0अ0सं0 374/2023, धारा–2/3 उ.प्र. गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, थाना गंगाघाट, जिला उन्नाव के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार प्रभारी निरीक्षक चन्द्रकान्त सिंह मय हमराही पुलिस कर्मचारीगण रवाना होकर देखभाल क्षेत्र में मामूर था तभी दौरान भ्रमण क्षेत्र में ज्ञात हुआ कि गैंग लीडर महेश निषाद ने अपने सहअभियुक्त सदस्य सुरेन्द्र रावत, करन रावत, विकास निषाद के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम किया है, जो आर्थिक व भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु नकबजनी चोरी आदि जैसे जघन्य अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित कर रहे है, जो अन्तर्जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अ.सं. 252/23 धारा 457, 380, 411, 413 भा.द.सं., अ.सं. 33/23 धारा 380, 457, 411 भा.द.सं., दर्ज है। अभियुक्ततगण द्व ारा कये गये आपराधिक कृत्यो से जनता में भय व दहशत का माहौल है व सामान्य जनजीवन प्रभावित है। इस गिरोह के भय व दहशत के कारण इनके विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति

शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नही कर पाता है।

3– अभियुक्त द्वारा जमानत प्रदान किये जाने का यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी को फर्जी तरीके से झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकृति का कोई आपराध कारित नही किया गया है। गैंग चार्ट में दर्शित सभी अपराध अज्ञात में दर्ज कराये गये है, जिसमें प्रार्थी की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी दैनिक मजदूरी करता है। प्रार्थी का कोई पैरवी करने वाला नही है। प्रार्थी ने यह जमानत प्रार्थना पत्र न तो न्यायालय में या न तो माननीय उच्च न्यायालय में दिया है एवं न ही विचाराधीन है और ना ही खारिज हुआ है। प्रार्थी जमानत पर छूटने के बाद न तो कही भागेगा और न ही गवाहान सबूत पर बेजा असर डालेगा तथा समय पर हाजिर अदालत आता रहेगा। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

4– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त की ओर से शपथी विकास का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5– अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रपत्रो का अवलोकन किया ।

6– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, गैंग चार्ट में उल्लिखित मुकदमे में अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का पात्र है और उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

7– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुये यह कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का एक सक्रिय गिरोह है, और वह सहअभियुक्त के सहयोग से चोरी जैसे अपराध कारित करता है। वह अपने व अपने सहअभियुक्तगण के आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु समाज में भय व आतंक का माहौल व्याप्त कर धन अर्जित करता है। जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध गवाही देने या शिकायत करने का साहस नही कर पाता है। अभियुक्त गैंग का सक्रिय सदस्य है। विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के आपराधिक कृत्य व जनता के मध्य उनकी अपराधिक छवि भय व आतंक के कारण उसके विरूद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है, उसने अन्य अभियुक्त के सहयोग से चोरी जैसे गम्भीर अपराध कारित किया है। अतः अभियुक्त जमानत का पात्र नही है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

8– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि, गैंग चार्ट में अभियोग अभियुक्त के विरूद्ध निम्नलिखित मुकदमे दर्शित किये गये है, जिसमें **1–अ.सं. 252/2023, धारा 457, 380, 411, 413, भा.द.सं. थाना गंगाघाट, उन्नाव, 2–अ.सं. 33/2023, धारा 457, 380, 411 भा.द. सं. थाना सोहरामउ, उन्नाव, 3–अ.सं. 34/2023, धारा 457, 380, 411 भा.द.सं. थाना**

सोहरामउ, उन्नाव में अभियुक्त के ऊपर लगातार चोरी जैसे गम्भीर अपराध का अभियोग है। प्रारूप सं. 2 एजेन्डा के रूप में संलग्न किये जाने वाला आपराधिक इतिहास के अनुसार गैंग चार्ट के अतिरिक्त अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अ.सं. 630/2018, धारा 13 जुआं अधिनियम थाना गंगाघाट, उन्नाव, दर्शित है। अभियोजन प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता है कि लूट के अपराध में फर्द बरामदगी में अभियुक्त के पास से लूट के सामान की बरामदगी होना दर्शित है। अभियुक्त को गैंग का सक्रिय सदस्य के रूप में दर्शित किया गया है।

9– अवलोकनीय यह है कि **उ.प्र. गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 19 उपधारा (4) एवं अनिल सिंह बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2008(61) ए.सी.सी. 920 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार Offence under section 3(1) of UP Gangster Act, bail should be granted only when there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty."**

उपरोक्त संदर्भित प्रावधान एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये गिरोहबन्द अधिनियम में जमानत तभी प्रदान की जा सकती है कि जब प्रथम दृष्टया यह अवधारित हो जाये कि अपराध न होने के बावत तर्क पूर्ण साक्ष्य आधार पत्रावली पर उपलब्ध हो।

10– अतः मामले के तथ्यो व परिस्थितियो के दृष्टिगत उ.प्र. गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 19 (4) (ख) के अर्न्तगत जमानत के स्तर पर न्यायालय को यह समाधान होना आवश्यक है कि अभियुक्त प्रश्नगत अपराध का दोषी नही है और जमानत के दौरान पुनः कोई अपराध उसके द्वारा कारित किये जाने की कोई सम्भावना नही है। इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त समाधान किये जाने का कोई पर्याप्त आधार न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही है।

तद्नुसार अभियुक्त **करन रावत** का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **करन रावत** का जमानत प्रार्थना पत्र **मुकदमा अपराध सं0 374/2023, धारा 2/3 उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी किया कलाप निवारण अधिनियम, थाना गंगाघाट, जिला उन्नाव में** निरस्त किया जाता है।

(श्रीमती पूनम–II)
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.05, उन्नाव।

दिनांक 17.10.2023

Digitally signed by POONAM
Date: 2023.10.17 16:38:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court